

पत्रांक-पी0-2/07-02-09-2022 / .../4-4-6...

बिहार पुलिस मुख्यालय  
(कार्मिक एवं कल्याण प्रभाग)

पटना, दिनांक-29/07/2022

प्रेषक,

पुलिस उप-महानिरीक्षक (कार्मिक),  
बिहार, पटना

सेवा में,

निदेशक,  
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग,  
बिहार, पटना

विषय :- विज्ञापन संख्या-03/2020 के अन्तर्गत पुलिस अवर निरीक्षक एवं प्रारक्ष अवर निरीक्षक (परिचारी) के पद पर नियुक्ति से संबंधित आवश्यक सूचना प्रकाशन के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषयक आवश्यक सूचना से संबंधित आलेख संलग्न करते हुए अनुरोध है कि इसका प्रकाशन सभी प्रमुख समाचार पत्रों में आज ही कराने की कृपा की जाय।

अनु0-यथोपरि।

विश्वासभाजन

29/7/22  
पुलिस उप-महानिरीक्षक (कार्मिक),  
बिहार, पटना

प्रतिलिपि :-

1. सभी क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप-महानिरीक्षक, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
2. आई0टी0 मैनेजर, बिहार पुलिस मुख्यालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

सूचना  
बिहार पुलिस मुख्यालय, पटना  
(कार्मिक एवं कल्याण प्रभाग)


बिहार पुलिस में पुलिस अवर निरीक्षक एवं प्रारक्ष अवर निरीक्षक(परिचारी) के पदों पर नियुक्ति हेतु बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन सं०-03/2020 के अन्तर्गत आयोग के पत्रांक-1150, दिनांक-25.07.2022 द्वारा 1998 अभ्यर्थियों की पुलिस अवर निरीक्षक के पद पर एवं पत्रांक-1151, दिनांक-25.07.2022 द्वारा 215 अभ्यर्थियों की प्रारक्ष अवर निरीक्षक(परिचारी) के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा सूची उपलब्ध कराई गई है। उक्त पत्रों में उल्लेखित है कि अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थीगण आयोग द्वारा निर्गत चयन पत्र एवं सभी मूल प्रमाण पत्रों के साथ दिनांक-01.08.2022 से 20.08.2022 के मध्य पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना के कार्यालय में योगदान समर्पित करेंगे।

नियुक्ति के पूर्व अभ्यर्थियों के चिकित्सीय परीक्षण, चरित्र सत्यापन, दस्तावेजों के सत्यापन एवं अन्य कार्यवाही उनके गृह जिला के क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप-महानिरीक्षक द्वारा की जायेगी।

बिहार राज्य के सभी अनुशंसित अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि आयोग द्वारा निर्गत चयन पत्र तथा सभी मूल प्रमाण पत्रों के साथ अपने गृह जिला से सम्बन्धित क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक कार्यालय में दिनांक-10.08.2022 से 20.08.2022 के मध्य उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। बिहार राज्य से बाहर के अनुशंसित अभ्यर्थीगण पुलिस महानिरीक्षक, केन्द्रीय क्षेत्र, पटना के कार्यालय में उपस्थित होंगे।

संबन्धित अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा दिये गये निदेश के आलोक में पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना के कार्यालय में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है।

पुलिस महानिदेशक, बिहार के आदेशानुसार,

  
पुलिस उप-महानिरीक्षक (कार्मिक),  
बिहार, पटना